न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस.

नं. मु. 23/22

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू, राजस्थान

वादी

बनाम

हवा कंवर पुत्री सुल्तान सिंह जाति राजपुत निवासी कातर बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 20-1-25

प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार जरीये तहयीलदार बीदासर की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि खसरा संख्या 458 तादादी 0.5944 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम राजस्व ग्राम कातर बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी हवा कंवर पुत्री सुल्तान सिंह जाति राजपुत निवासी कातर बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिसकी नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी सलंग्न है। हल्का पटवारी कातर छोटी की जांच में पाया गया कि उक्त कृषि भूमि में सम्पूर्ण रकबे पर आबादी बस चुकी है। भूमि वर्तमान में कृषि के बजाय अकृषि उपयोग में ली जा रही है। राज्य सरकार की ओर से खातेदार को कृषि भूमि में केवल कृषि करने के ही अधिकार प्रदत्त है जबकी वादगत भूमि का वर्तमान में कृषि उपयोग न होकर अकृषि उपयोग हो रहा है। वादगत भूमि राजस्व रेकार्ड के अनुसार कृषि भूमि है जबकी वर्तमान में वादगत भूमि अवैध रूप से आबादी बस चुकी है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि का बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के स्वरूप परिवर्तन किया गया है। प्रतिवादी द्वारा राज्य सरकार की ओर से दिये गये अधिकारों के विपरीत कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया गया है। यह भी संभव है कि प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा–देखी से अन्य लोगों के द्वारा भी कृषि भूमि का बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन किया जा सकता है जिससे भविष्य में कृषि

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

भूमि में पैदावार होना असंभव हो सकता है जिसके फलस्वरूप भूमि का कृषि संबंधी कोई उद्देश्य नहीं रहेगा।

प्रस्तुत वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् के न्यायालय को प्राप्त है। वादपत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त है। वादपत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत है। वाद का कारण कृषि भूमि आबादी बसने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा खातेदारी कृषि भूमि से भिन्न अकृषि उपयोग मौके पर किया जा रहा है इसलिए प्रतिवादी की भूमि खसरा संख्या 458 तादादी 0.5944 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम वाके रोही ग्राम कातर बड़ी के खातेदारी अधिकार निरस्त फरमाने कि कृपा करें। आदि आदि अंकित कर वाद पत्र को स्वीकार करने का निवदेन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद तामील/सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के खिलाफ प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है।

पत्रावली में वर्णित तथ्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। वादगत भूमि वर्तमान में प्रतिवादी के नाम से खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार बीदासर के अनुसार वादगत भूमि सम्पूर्ण का मौके पर अकृषि उपयोग हो रहा है। प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंधन किया है। लैण्ड हॉल्डर व खातेदार के बीच हुए अनुबंध का भी उल्लंधन किया है। कृषि भूमि का उपयोग अकृषि में किये जाने का प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी कृषि भूमि का लैण्ड हॉल्डर की सक्षम अनुमति के बिना अकृषि कार्य किया जाता है तो लैण्ड हॉल्डर व कृषक के बीच हुए अनुबंध का उल्लंघन माना जाता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी हवा कंवर पुत्री सुल्तान सिंह जाति राजपुत निवासी कातर बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू की खातेदारी के खसरा संख्या 458 तादादी 0.5944 हैक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम कातर बड़ी से प्रतिवादी को बेदखल कर सिवायचक घोषित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-1-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्ड 20, रूल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

सरकार बनाम हवा कंवर

मु. नं. – 23/22

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी पेरोकार राज वास्ते मुद्दई व मुदावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व इस प्रकार अन्तिम डिक्री की जाती है कि प्रतिवादी हवा कंवर पुत्री सुल्तान सिंह जाति राजपुत निवासी कातर बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू की खातेदारी के खसरा संख्या 458 तादादी 0.5944 हैक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम कातर बड़ी से प्रतिवादी को बेदखल कर सिवायचक घोषित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वयं वहन करे। चीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20-1-25

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

मुहर

ओहदा .....

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमि नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमि नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:– खर्च के फार्मे पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)